

फर्द अहकाम  
(नियम -26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जायल जिला नागौर

प्रार्थीगण

अप्रार्थीगण



भूलीलाल

बनाम . . .

चन्दुकाका कोटा

किस्ब प्रकारण :- राजस्व प्रार्थना पत्र

मुकदमा सं. 102/2020

तारीख आदेश	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म को शामिल में जारी हुये
21/20	<p>यह प्रार्थना पत्र अधीन धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 01 व 02 सी.पी.सी.के तहत वकील श्री <u>अशोक चण्डिका</u> ने पेश कर अस्थाई निपेधाज्ञा बाबत निवेदन किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पक्षकारों के समन् जरिये रजिस्टर ए.डी. के भिजवाये जावे। पत्रावली दिनांक 21.10.20 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">               सहायक क्लर्क (एस.डी.ओ.)              जायल, जिला नागौर           </p>	
21/20	<p>वकील प्रार्थी उप) वकील प्रार्थीने उप प्रार्थना पत्र बनागत प्रार्थी पत्र को जरिये विज्ञेय ब्यारिज किमे जाने बाबत पेश किया। जो शाप मि 2020 वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी को प्रार्थी पत्र बनागत 212 RT Act, 030 R, 2 CPC &amp; 0/5/5/ CPC जरिये विज्ञेय ब्यारिज किमे जाने को स्वीकार किया जाता है। किन्तु जरिये विज्ञेय ब्यारिज ही जारी है।</p> <p>पत्रावली रूपे नम्बर ल 9म एडर रूप वाद के साथ नत्थी हो।</p> <p style="text-align: center;">               सहायक क्लर्क (एस.डी.ओ.)              जायल, जिला नागौर           </p>	